न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./01/2019/बाड़मेर

अपीलांट

1. नगाराम पुत्र दीपाराम
2. खुमाराम पुत्र दीपाराम
3. हनुमानराम पुत्र दीपाराम के कायम मुकामः–
   3/1जयप्रकाश पुत्र हनुमानराम
   3/2 अशोककुमार पुत्र हनुमानराम
   3/3सरेशकुमार पुत्र हनुमानराम
   3/4श्रीमती अणसीदेवी पत्नी हनुमानराम कौम ब्राहमण निवासी धन्नाणी मेघवालों की ढाणी राजबेरा तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.भैराराम पुत्र किशनाराम
2.रावताराम पुत्र किशनाराम
3.श्रीमती सोनीदेवी पत्नी किशनाराम
4.नृसिंगाराम पुत्र कुशलाराम
5.मुलतानाराम पुत्र कुशलाराम
6.बाबुराम पुत्र कुशलाराम
7.ओमप्रकाश पुत्र कुशलाराम
8.श्रीमती झमकुदेवी पत्नी कुशलाराम जाति ब्राहमण निवासी धन्नाणी मेगवालों की ढाणी राजबेरा तहसील शिव जिला बाड़मेर।
9.किशनसिंह पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी हनुमानपुरा राजबेरा तहसील शिव जिला बाड़मेर।
10.शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डु।
11.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक शिव

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 63/2018 बअनवान नगाराम वगैरह बनाम भैराराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 14.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन अंतगर्त धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि अपीलकर्ता प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी का खेत खसरा संख्या 847 रकबा 144 बीघा 10 बिस्वा मौजा हनुमानपुरा क्षेत्र राजबेरा तहसील शिव जिला बाड़मेर में आया हुआ है उक्त खातेदारी खेत में अपीलकर्ता प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का क्रमशः 1/8–1/8 हिस्सा, तथा प्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 3 के वारीसानों का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा तथा उतरदाता संख्या 1 से 3 व विप्रार्थी संख्या 9 का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा आया हुआ है तथा उक्त अनुसार ही प्रार्थीगण अपीलकर्तागण अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त काबिज है। वादग्रस्त आराजी शामलाती होने के कारण उतरदातागण संख्या 1 से 3 अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान अजनबी क्रेताओ को करने व उनका कब्जा करवाने की फिराक मे है। लगातार पेशी देने के बाद दिनांक 21.12.2018 को अपीलकर्तागण के अधिवक्ता की बहस सुने बिना ही उतरदाता के प्रभाव में आकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जबकि विधि की यह मंशा रही है कि किसी भी पत्रावली में दोनों पक्षों को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देने के पश्चात ही आदेश पारित करना चाहिये था परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की ओर से काल्पनिक बहस का विवरण दिया जाकर एवं उतरदाता के जबाव को रैकर्ड पर लिये बिना ही जावब में अंकित तथ्यों का अंकन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। ऐसी स्थिति में उक्त अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों की घोर अवहेलना करते हुए पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगातार कई पेशी देने के बाद दिनांक 21.12.2018 को अपीलकर्तागण के अधिवक्ता की बहस सुने बिना ही उतरदाता के प्रभाव में आकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जबकि विधि की यह मंशा रही है कि किसी भी पत्रावली में दोनों पक्षों को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देने के पश्चात ही आदेश पारित करना चाहिये था परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की ओर से काल्पनिक बहस का विवरण दिया जाकर एवं उतरदाता के जबाव को रैकर्ड पर लिये बिना ही जावब में अंकित तथ्यों का अंकन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। ऐसी स्थिति में उक्त अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों की घोर अवहेलना करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है इसलिए रेस्पोडेंट/विप्रार्थीगण को भूमि के उपभोग से रोका जाना न्यायोचित नहीं है खातेदार को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का पूर्ण अधिकार है तथा एक सहखातेदार के विरूद्ध दूसरे सहखातेदार को यह कहते हुए कि वह भूमि का बेचान कर देगा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का कोई अधिकार नहीं है। काश्ताकार अपने हिस्से तक की भूमि बेचान करने हेतु स्वतंत्र है उसके अधिकारों पर रोक लगाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम हनुमानपुरा की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 847 रकबा 144.10 बीघा में अपीलांटगण तथा उतरदातागण निहित हिस्से में संयुक्त खातेदार हैं। कानूनन सभी सहखातेदारों का खातेदारी में दर्ज भूमि के प्रत्येक हिस्से में निहितांश होता है। सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना कानूनन उचित नहीं है क्योंकि वह काश्तकारी कानून में प्रदत्त उसके हक–हिस्सों में दखलंदाजी को प्रश्रय देता है। अपीलाधीन निर्णय का परीक्षण किया गया तथा सहखातेदारी के संबंध में अवधारित न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में उक्त निर्णय सही एवं उचित पाया गया है लिहाजा इसमें किसी भी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है। सभी सहखातेदार अपने–अपने निहितांश में काबिज काश्त रह कर खातेदारी भूमि के उपयोग/उपभोग के लिए स्वतंत्र है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 63/2018 बअनवान नगाराम वगैरह बनाम भैराराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2018 को यथावत रखा जाता है।

14/6/19

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner